न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 : 155/2019,
अन्जू देवी बनाम मीना आदि
धारा– 323,504,506,452 भा.द.सं.,
थाना– मानिकपुर।

<u>दिनांक : 26.02.2019</u>

अभियुक्त बेलिया की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 73/2019, अन्तर्गत धारा 323,504,506,452 भा0दं0सं0, थाना मानिकपुर प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

मामला परिवाद पर संस्थित है। अभियुक्त एक पक्षीय साक्ष्य के आधार पर समन किया गया है। अपराध 7 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त बेलिया की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 73/2019, अन्तर्गत धारा 323,504,506,452 भा0दं0सं0, थाना मानिकपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 20,000–20,000/–रू. का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रभारी ए.सी.जे.एम.
चित्रकूट